न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 34 / 2024(GCMS 2024/144)
(आरटीआई संख्या 212068212532648)

श्री लक्ष्य मित्तल, 137 ए ब्लॉक, गुरूद्वारा सिंह सभा, वार्ड नं. 18, करणपुर, गंगानगरः–335073

<u>बनाम</u>

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, प्रशासन, श्रीगंगानगर

<u>19.05.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री लक्ष्य मित्तल उपस्थित नहीं हुए, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, प्रशासन, श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.05.2024 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री लक्ष्य मित्तल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 08.05.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न तीन बिन्दुओं **सूचना चाही थी :**

1. The total no. of arms licenses issued in Sri Ganganagar District within the past three years, categorized according to the following criteria :
   a. Number of licenses issued for firearms with different gun before prohibitions (e.g. prohibited bore, non prohibited bore)
   b. Number of licenses issued different types of firearms (e.g. riffles, shotguns, handguns)
2. The total number of applications received for arms licenses in Sri Ganganagar District over the same three year period.
3. A companion between the number of applications received and the number of licenses actually issued during this period.

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:34:44 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी की मूल अपील अपने पत्रांक 374 दिनांक 15.07.2024 से प्रभारी अधिकारी प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर स्थानान्तरित कर दी थी इसलिए इस कार्यालय के पत्रांक सीजी/वाचक/24/1617 दिनांक 13.11.2024 एवं स्मरण पत्र 288/17.02.2025 एवं 982 दिनांक 01.05.205 से लिखे जाने के पश्चात भी उनके द्वारा कोई जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत नहीं किया है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को कोई जवाब दिया है अथवा नहीं। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान है:

> धारा 7 अनुरोध का निपटारा : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।
>
> परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, द्वारा बिन्दु संख्या 1 से 3 के सम्बन्ध में अपीलर्थी को कोई जवाब प्रेषित किया हो, यह ज्ञात नहीं होता है। उनके द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है अथवा नहीं? जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **प्रभारी अधिकारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट,** श्रीगंगानगर **को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के बिन्दु संख्या 1 से 3 के सम्बन्ध में आदेश प्राप्ति के 07 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत निर्णय किया जावे। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अध्किारी, न्याय शाखा, कलक्ट्रेट,** श्रीगंगानगर **को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:54:44 IST
Reason: SelfAttested